आदेश की क्रम और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
06.08.19	**न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह– आर्बिट्रेटर, धनबाद** **आर्बिट्रेशन केश नं0–58 / 2019** अनिल विश्वकर्मा –बनाम्– भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार एवं अन्य दावेदार के आवेदन के आलोक में बाघमारा अंचल अन्तर्गत मौजा–डोमनपुर थाना नं0–218, खाता नं0–29, प्लॉट नं0–1172, रकवा–2.35 डी0 भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–02 के 6 लेन चौडीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उस पर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया। आवेदक का आवेदन पत्र एवं अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि अर्जित भूमि का बाजार दर के अनुसार राशि गणना कर भुगतान नहीं किया गया है। वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 के औसत दर के आधार पर वर्ष 2019 में मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है, साथ ही उक्त भूमि का कृषि दर पर मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है, जबकि भूमि आवासीय है। NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत / निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उल्लेख किया भूमि का नियमानुसार गणना कर सही मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मै पाता हूँ कि वास्तविकता की जॉच आवश्यक है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद एवं एन0एच0ए0आई0 को निदेश दिया जाता है कि वास्तविकता की जांच करते हुए भूमि एवं अवस्थित संरचानाओं का निर्धारित दर पर पुर्नमूल्यांकन कर यदि देय हो, तो मुआवजा राशि आवेदक को नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित (ह०) अपर समाहर्त्ता –सह– आर्बिट्रेटर धनबाद। (ह०) अपर समाहर्त्ता –सह– आर्बिट्रेटर धनबाद।	

Scanned with CamScanner